

Admission Session: 2026-2027

बी.ए./बी.बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. हेतु

काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रपत्र साथ लाने होंगे।

- 1- LURN फार्म की कापी
2. रजिस्ट्रेशन फार्म की कापी।
3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट मार्कशीट की मूल प्रति एवं 01 सेट फोटो कापी।
6. जाति प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी)
7. EWS प्रमाण-पत्र की छात्रा प्रति। (सामान्य वर्ग हेतु यदि लागू हो तो)
8. अतिरिक्त भारांक एवं उप-श्रेणी जैसे- एन.सी.सी., खेल, स्काउट इत्यादि का लाभ लेने के लिए उसका प्रमाण-पत्र की मूल एवं छायाप्रति।
9. यदि इण्टरमीडिएट के बाद कोई गैप है तो वेबसाइट पर दिये गये घोषणा-पत्र को भरकर प्रस्तुत करना होगा। [डाउनलोड के लिए क्लिक करें](#)।



महाविद्यालय के व्हाट्सऐप चैनल से जुड़ें

नोट:- अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट (nscb.ac.in) देखें।

Admission Session: 2026-2027

एम.ए./एम.एस.सी. हेतु

काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रपत्र साथ लाने होंगे।

- 1- LURN फार्म की कापी
2. रजिस्ट्रेशन फार्म की कापी।
3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति
5. माइग्रेसन प्रमाण-पत्र यदि स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं किया है।
6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट मार्कशीट की मूल प्रति एवं 01 सेट फोटो कापी।
7. स्नातक की समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंक पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति
8. जाति प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी)
9. EWS प्रमाण-पत्र की छात्रा प्रति। (सामान्य वर्ग हेतु यदि लागू हो तो)
10. अतिरिक्त भारांक एवं उप-श्रेणी जैसे- एन.सी.सी., खेल, स्काउट इत्यादि का लाभ लेने के लिए उसका प्रमाण-पत्र की मूल एवं छायाप्रति।
11. यदि स्नातक के बाद कोई गैप है तो वेबसाइट पर दिये गये घोषणा-पत्र को भरकर प्रस्तुत करना होगा। [डाउनलोड के लिए क्लिक करें](#)।



महाविद्यालय के व्हाट्सऐप चैनल से जुड़ें

नोट:- अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट (nscb.ac.in) देखें।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

गैप इयर हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

मैं..... पुत्री श्री

पता.....

जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ में कक्षा
..... में प्रवेश लेना चाहती हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मैंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है इसके बाद वर्ष से वर्ष तक मैंने किसी भी अन्य संस्थान/ महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल में कारण/ कारणों से प्रवेश नहीं ले सकी।
2. यदि मेरा उक्त बयान/घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाय। मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतंत्र होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन सं.

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता का नाम

पता.....

दिनांक

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-3/ 2019/ 4/ 1/ 2002/ का-2/ 19टी.सी.-II
लखनऊ, दिनांक : 14 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-325/ 26-3-2019, दिनांक-22.01.2019 के क्रम में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/ 2019/ 4/ 1/ 2002/ का-2/ 19टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-(ख) (iii) में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा प्रमाणित/ जारी किया जायेगा।

3. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर वांछित आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु वांछित आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र का प्रपत्र-I व प्रपत्र-II निर्धारित किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रपत्र- I व प्रपत्र-II के अनुसार उक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/ 2019(1)/ 4/ 1/ 2002/ का-2/ 19टी.सी.-II, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 7) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 8) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 9) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चिन्नांशी
विशेष सचिव।

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा.....


पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

में पुत्र/ पुत्री/ पत्नी

ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस

थाना ब्लॉक तहसील

जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/ आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-